

आश्रित प्रमाण पत्र

1. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि नीचे दर्शाए गए आश्रितजन / आश्रितजनों का विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. मेरे माता और पिता कि समस्त स्रोतों से मासिक आय 9000/- से कम है/ कुछ नहीं है।

क्रमांक	आश्रितजनों के नाम	जन्म तिथि	बीमित से संबंध	संलग्न प्रमाण प्रति
1.				
2.				
3.				

दिनांक :

बीमित के हस्ताक्षर -

बीमा क्रमांक -

बीमित का नाम -

अनुप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गई घोषणाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के साथ सत्य है।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

सील / मोहर _____

सूचना : माता /पिता को आश्रित के रूप में जोड़ने से पूर्व बीमित / नियोक्ता कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके माता पिता न तो शासकीय कर्मचारी हैं और न ही उनकी समस्त स्रोतों से संयुक्त मासिक आय राशि 9000/- से अधिक है। इस संबंध में बीमित व्यक्ति/नियोक्ता को सूचित किया जाता है कि वे इसके प्रमाण हेतु आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत / ऑनलाईन अपलोड करें।

निम्न सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा :

1. सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी; या
2. नगर पालिका आयुक्त; या
3. कर्मकार प्रतिकर आयुक्त; या
4. ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत कि शासकीय मुद्रा लगा करके; या
5. विधायक / सांसद; या
6. केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी; या
7. कर्मचारी राज्य राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड/ स्थानीय समिति के सदस्य।